

# न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी  
सीमा खेतान (आरटीएस)  
दिनांक-7.3.19

मि.न.- 71/19

सरकार बनाम हरीश

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नांगल पुरुषोत्तमपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम पुरुषोत्तमपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 30 रकबा 17.35है0 किस्म जमीन चारागाह मेंसे 0.01है0 पर हरीश पुत्र गोपी जाति बंजारा निवासी पुरुषोत्तमपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने झुग्गी बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये तथा जवाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया। गैर सायल ने अपने जवाब में कथन किया है कि मैंने वाके ग्राम पुरुषोत्तमपुरा के खसरा नंबर 30/17.35है0 किस्म चारागाह मेंसे 0.01है0भूमि पर एक झोंपडी एंव लेट-बाथ निर्मित कर रखा तथा पेड लगा रखे हैं।इसके अलावा मेरे पास रहने के लिए अन्य कोई भूमि नहीं है। अतः नोटिस राजस्थान लेण्ड रैवन्यू एक्ट 1956 की कार्यवाही ड्राप फरमाई जावे।

हमने पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी व गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि गैरसायल द्वारा अपने जवाब में स्वयं की स्वीकारोक्ती के आधार पर गैरसायल का उक्त चारागाह भूमि पर झोंपडी बनाकर अतिक्रमण स्वतः ही सिद्ध होता है जिसके विरुद्ध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है चूकि गैरसायल के जवाब के अनुसार प्रतीत होता है कि गैरसायल के पास उक्त झोंपडी के अलावा रहवास के लिए रहने के लिए अन्य कोई भूमि नहीं है चूकि हरिश पुत्र गोपी बंजारा जाति से सम्बद्ध रखता है जो एक घुमन्तु जाति है राज्य सरकार की लोक नीति के अनुसार इनके उचित रहवास की व्यवस्था के लिए विभिन्न योजनाएँ संचालित हैं।अतः गैर सायल को उक्त

आराजीयात से बेदखल करने हेतु ग्राम पंचायत से गैरसायल के रहवास की व्यवस्था करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः हरीश पुत्र गोपी जाति बंजारा निवासी पुरुषोत्तमपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम पुरुषोत्तमपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 30/17.35 है0, किस्म जमीन चारागाह मे से 0.01 है0 पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा सरपंच पुरुषोत्तमपुरा को आदेशित किया जाता है कि वह अतिक्रमि हरिश पुत्र गोपी की रहवास की व्यवस्था नियमानुसार करे तत्पश्चात हल्का गिरदावर बेदखली की कार्यवाही कर रिपोर्ट करे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 7.3.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

*SSR*  
तहसीलदार (मू० अ०)  
कोटपूतली (जयपुर)